न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. **19/2021**

अपीलार्थीगण–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
1. गीगाराम पुत्र अन्नाराम 2. अजाराम पुत्र हमीराराम 3. सांवलाराम पुत्र हमीराराम 4. चिमनाराम पुत्र रामींगाराम जाति कलबी निवासी देवनगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी 2. नरसिंगा पुत्र लाखा 3. भावा पुत्र सता 4. मिसरा पुत्र माहिंगा 5. मगा पुत्र तिलोका 6. पदमा पुत्र भावा 7. बाबू पुत्र हरा जाति मेगवाल निवासी देवनगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.06.2021 जो प्रकरण सं. 08/2021 मे तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री हुकमसिंह चौधरी, उत्तरदाता संख्या 2 से 7 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : **25.01.2022**

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रकरण सं. 08/2021 सरकार बनाम गीगाराम व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक **29.06.2021** के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:55 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि भू–अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देवनगर के खसरा नम्बर **1014** रकबा **9–19** बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता भूमि में से **2–02** बीघा पर गैर सायल **गीगाराम वल्द अन्नाराम, अजाराम सांवलाराम पि0 हमीराराम चिमना वल्द रामिंगा कौम कलबी साकिन देह** द्वारा अनार व अरण्डी की फसल बोकर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायलान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार गुडामालानी द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **29.06.2021** के द्वारा **75/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलकर्तागण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1159, 926 व 1163 आये हुए हैं जिसके सेढे पर खसरा नंबर 92[illegible] 925 की भूमि आई हुई है। अपीलकर्तागण के खेत [illegible] नंबर 1159 [illegible] पडोसी खसरा नंबर 925 के बीच खसरा नंबर 1014 [illegible] कटान मार्ग चल रहा है जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। उक्त ग्रेवल सड़क का जब निर्माण हो रहा था

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खसरा नंबर 925 के खातेदारान ने नाप करवाया था तथा अपीलांट्स ने भी राजस्व वाद संख्या 82/2020 पेश कर मौका रिपोर्ट मंगवाई तथा सही जगह सड़क बनाने का निवेदन किया। पड़ौसी खातेदारान ने भी जहां रास्ता चल रहा है व ग्रेवल सड़क बनी हुई है उसी संबंध में हीरा व अन्य बनाम उकाराम व अन्य आवेदन संख्या 95/2020 पेश कर ग्रेवल सड़क की यथास्थिति का स्थगन लिया है जो विचाराधीन है। हलका पटवारी ने दिनांक 06.04.2020 को धारा 91 राज. भू-राज. अधिनियम की कार्यवाही हेतु न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने के समय सभी न्यायालयों में सुनवाई ऑनलाईन चल रही थी इस कारण उक्त प्रकरण में अपीलकर्तागण के विरूद्ध जो अपीलाधीन एकतरफा आदेश पारित किया गया है उसकी जानकारी नहीं हुई। अपीलकर्तागण अभी जब अपनी पेशी के बारे में जानकारी लेने गए तब उक्त प्रकरण में निर्णय होने की जानकारी हुई जिस पर निर्णय की प्रति प्राप्त कर यह अपील जानकारी होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे एवं उल्लेखित कारणों से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट्स के विरूद्ध भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स द्वारा ग्राम देवनगर के खसरा नम्बर **1014** रकबा **9-19** बीघा किस्म गैर [illegible]स्ता भूमि में से **2-02** बीघा पर अवैध कब्जा कर अ[illegible] किया है, [illegible]पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्[illegible] को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उक्त अपीलाधीन रास्ता की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट्स द्वारा अनार व अरण्डी बोकर अवरूद्ध किया है तथा वे अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं। पुराना चालू रास्ता कदीमी होने मात्र से गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर पैमाईश उपरान्त काबिज रहने के अधिकार अपीलांट्स को नहीं है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण के दौरान कराई गई पैमाईश से गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर पाये गये अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही हेतु प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर उस पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 के अधिवक्ता ने भी जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट्स व उत्तरदाता संख्या 2 से 7 की खातेदारी भूमि के बीच खसरा नंबर 1014 गैरमुमकिन रास्ता चल रहा है जिस पर अपीलांट्स ने अतिक्रमण कर वर्तमान में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को बाधित करने का प्रयास किया गया है। इस पर तहसील कार्यालय से पैमाईश दल गठित किया जाकर दिनांक 06.04.2021, 19.07.2021, 22.12.2021 को पैमाईश की गई है। उक्त पैमाईश अलग–अलग राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों से कराये जाने पर भी पैमाईश की स्थिति में कोई फेरबदल नहीं आया है एवं अपीलांट्स का गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर कब्जा स्पष्ट रूप से पाया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रकरण को अनावश्यक लम्बित करने एव नाजायज अतिक्रमण को नहीं हटाने की गरज से यह अपील प्रस्तुत की गई है जो सव्यय खारिज की जावे।

8. हमनें अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं प्रकट तथ्यों एवं तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अधिपत्य को गैरमुमकिन रास्ता के पुराना कदीमी जहां चालू है उससे भिन्न होना प्रकट किया है, किन्तु पैमाईश में उक्त कब्जा रास्ते की भूमि पर होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के आदेश से भी विवादित गैरमुमकिन रास्ता की भूमि का मुन्तकील बिन्दु से राजस्व विभाग के अनुभवी कार्मिकों की टीम से पैमाईश कराये जाने पर अपीलांट्स का अवैध अतिक्रमण होना पाया गया है। इस कार्यालय के आदेश से कराये गये पैमाईश के दौरान दिनांक 22.12.2021 को अपीलांट्स मौके पर उपस्थित रहकर पैमाईश कार्य में सहयोग किया किन्तु जो मौका फर्द तैयार की गई उस पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित करने से इनकार किया। इससे जाहिर है कि अपीलांट्स यह भली–भांति जानता है कि उसका मुतनाजा भूमि पर अवैध अतिक्रमण है जिसे जानबूझकर हटाना नहीं चाहता है। अपीलांट्स द्वारा इस अपील में मुतनाजा गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर आधिपत्य के संबंध में अपने विधिक अधिकार के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं और न ही गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर किसी को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में अपीलांट्स इस अपील के द्वारा मुतनाजा सरकारी भूमि पर अपने हक–स्वामित्व साबित करने में विफल रहा हैं तथा बिना किसी ठोस साक्ष्य के अपीलांट्स की यह अपील सारहीन व आधारहीन प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक **29.06.2021** यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

10 निर्णय आज दिनांक **25.01.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:55 IST
Reason: SelfAttested